झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 09/09/16

संख्या–16/प्र0सु0–02–11/2016 का॰– 7850 / भारत सरकार के विभिन्न केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ (Central Sector Schemes) एवं प्रधानमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रमों (Prime Minister Flagship Programmes) को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जा रहे हैं। उक्त क्रम में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करायी जाती है किन्तु योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के अभाव में इसकी आशंका बनी रहती है कि राज्य हेतु कर्णांकित राशि की विमुक्ति में देर होती हो अथवा ससमय आवश्यक कागजात समर्पित न होने की स्थिति में अप्रयुक्त रह जाए तथा राज्य केन्द्रीय लाभ से वंचित हो जाए। अतः इन योजनाओं के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही राशि का शत प्रतिशत आवंटन एवं उपयोग सुनिश्चित कराने, योजना कार्यान्वयन का उद्देश्य प्राप्त करने तथा जनता के मध्य योजना सम्बन्धी सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों से परिचारण हेतु राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1) केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ (Central Sector Schemes) एवं प्रधानमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रमों (Prime Minister Flagship Programmes) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर एकीकृत सूचना संकलन एवं परिचारण व्यवस्था होगी जिसके तहत श्रीमती निधि खरे, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को भारत सरकार के विभिन्न केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ (Central Sector Schemes) एवं प्रधानमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रमों (Prime Minister Flagship Programmes) के लिए राज्य का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2) इस केन्द्रीयकृत अनुश्रवण प्रणाली के मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पर नोडल पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार तिवारी, झा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड होंगे।

3) सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी विभागों के स्तर पर भी नोडल पदाधिकारी को मनोनीत किया जायेगा। नव मनोनीत अथवा पूर्व से मनोनीत नोडल पदाधिकारी संबंधित योजनाओं का पूर्ण ब्यौरा मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

4) समुचित अनुश्रवण हेतु विभागीय वेबसाईट (dopjharkhand.gov.in) पर MIS की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जबतक ऑनलाईन रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित नहीं कर ली जाती है तबतक मैनुअल व्यवस्था के तहत सम्बन्धित विभागों के नोडल पदाधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पर नोडल

पदाधिकारी को अद्यतन साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक बुधवार अपराह्न 4:00 बजे तक समर्पित करेंगे। इसमें सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में कर्णांकित आवंटन को प्राप्त करने, प्राप्त राशि के क्रमिक उपयोग तथा निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के सम्बन्ध में सभी विभागीय नोडल पदाधिकारी लगातार अनुश्रवण करेंगे।

5) मुख्यमंत्री सचिवालय के नोडल पदाधिकारी सभी सूचनाओं का संधारण कर राज्य नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ताकि सम्बन्धित योजनाओं का अनुश्रवण नियमित रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

6) केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ (Central Sector Schemes) एवं प्रधानमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रमों (Prime Minister Flagship Programmes) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से समन्वय बनाने के लिए प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली अधिकृत होंगे तथा योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी गैप के लिए उभय स्तरों से समन्वय करेंगे।

7) केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ (Central Sector Schemes) एवं प्रधानमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रमों (Prime Minister Flagship Programmes) की सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(निधि खरे) 8/9/16.

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–16/प्र0सु0–02–11/2016 का॰ – 7850 / राँची, दिनांक 09/09/16

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/ माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ श्री प्रमोद कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/16.

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

प्रेषक,

अमित खरे,
विकास आयुक्त।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
योजना–सह–वित्त (व्यय) /
उद्योग / ग्रामीण विकास / जल संसाधन / पेयजल एवं स्वच्छता /
ऊर्जा / नगर विकास एवं आवास / श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास /
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता / सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स /
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले /
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, सरकार, राँची।

विषयः– माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संचालित विशेष कार्यक्रमों की अधतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संचालित विशेष कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगाः–

1. Skill India Mission
2. Make in India
3. Start-up India
4. Digital India
5. Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojna
6. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojna
7. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna
8. Pradhan Mantri Mudra Yojna
9. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna
10. Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna
11. Deendyal Upadhayay Gramin Jyoti Yojna
12. Swachch Bharat Mission
13. Namami Ganga
14. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna
15. Pradhan Mantri Awas Yojna
16. Ujjawal Yojna

अगले माह इन योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा होनी संभावित है।

अनुरोध है कि इन योजनाओं के संबंध में अपने विभाग द्वारा अधतन कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 02.06.2016 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन में यदि कोई तथ्य भारत सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं तो कृपया उनकी संक्षिप्त विवरणी भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

01.06.2016

(अमित खरे)
विकास आयुक्त